

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :- 132/2019

निर्णय दिनांक 19.06.2019

उनवान

1. रेवडमल
2. रामवतार

समस्त पुत्रान लल्लूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा


बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा।

प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा10टे0एक्ट बाबत पत्थरगढी कराये जाने।

प्रार्थीगण ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.42 भूमि वाके ग्राम कोटखावदा में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी की तलबी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो अप्रार्थी ने जवाब सरकार में प्रार्थना पत्र के 1 से 2 स्वीकार करते हुए शेष न्यायालय से संबंधित होना अंकित किया गया। प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 20.06.18 को किया गया जो पत्रावली में शामिल है। वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम कोटखावदा की भूमि की पत्थर गढी प्रार्थीगण व अप्रार्थी व पडौसी खातेदारों की मौजूदगी में

अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो व फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्मलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
उपखण्ड अ

(एस0डी0एम0) चाकसू